(10) (2/1)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, राजस्व
मण्डल :वाराणसी,जनपद :वाराणसी,तहसील :सदर
वाद संख्या :-01971/2020
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D2020147000001971
घुरे लाल बनाम विजय कुमार आदि
अंतर्गत धारा:- 116, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद पत्र श्री घुरेलाल पुत्र स्व0 बल्ली राम द्वारा प्रतिवादीगण विजय कुमार आदि 1 ता 7 को रोट नम्बर 1 व सरकार उ0प्र0 व गाँव सभा को पक्ष बनाते हुए मौजा लालपुर अनौला परगना शिवपुर तहसील सदर जिला वाराणसी की आराजी नम्बर मि0 रकबा 0.966 हे0 व मि.12 रकबा 0.202 हे0 कुल दो गाटा रकबा 1.168 हे0 के बटवारा हेतु सबरू राम का वंक्षवृक्ष देते हुये इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वादी व प्रतिवादी सेट नम्बर 1 एक ही खानदान के सदस्य है जो वंशवृक्ष से स्पष्ट होगा। उक्त आराजी हम वादी व प्रतिवादी सेट नम्बर 1 की मौरूसी सम्पत्ति है, हम वादी के पिता व प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 व 3 के पिता व प्रतिवादी नम्बर 4 श्वसुर व प्रतिवादी नम्बर 5 व 6 के दादा तथा प्रतिवादी नम्बर 7 के पिता व चाचा कन्हैया के बीच एक मुकदमा नम्बर 52 सन् 1974 बल्ली आदि बनाम रामराज आदि न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम श्रेणी वाराणसी मे विचाराधीन रहा, जिसमे निर्णय के विरूद्ध बल्ली आदि ने आयुक्त महोदय के न्यायालय मे अपील संख्या 354 सन् 74 प्रस्तुत किया था, जिसमे पक्षों के बीच दिनांक 18–10–1975 को समझौता पत्र के आधार पर दिनांक 18–10–75 को अपील निर्णित हो गया। उक्त समझौता पत्र दिनांक 18–10–75 के अनुसार आराजियात निजाई मद क मे वादी के पिता बल्ली को 1/4 अंश तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मुरिस विस्सू उर्फ विश्वनाथ को 1/4 अंश तथा प्रतिवादी संख्या 7 के पिता रामराज को 1/4 तथा कन्हैया का 1/4 अंश प्राप्त हुआ, उक्त निर्णय का सम्मान करते हुये समझौता के मुताबिक मद क पर बटँवारा से प्राप्त अपने–अपने अंश पर अध्यारोपित होकर उपभोग करते रहे, लेकिन कागजात खतौनी मे सभी का नाम संयुक्त मालिकान के रूप मे दर्ज रहा, खाता अलग नही हो सका, जिसके कारण पक्षगण के मुरिसान के स्वर्गवास के बाद वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 7 का नाम संयुक्त रूप से दर्ज चला आ रहा है, जिसके कारण वादी को अपने अंश की आराजी का स्वतन्त्र रूप से उपयोग करने मे काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी दौरान प्रतिवादी संख्या 7 के चाचा कन्हैया लावल्द फौत कर गये जिनके वसीयतनामा को लेकर प्रतिवादी सख्या 3 बबुआ व प्रतिवादी संख्या 7 साधो राम के मध्य मुकदमा विचाराधीन है, जिसमे वादी पक्षकार नही है, और न ही उक्त मुकदमे से हम वादी का कोई वास्ता सरोकार है। उक्त आराजी नम्बर 6 मे रकबा 0.1375 हे0 व मि.12 मे रकबा 0.0505 हे0 वादी का अंश शेष है, जिसे घोषित कर अलग खाता कायम कराया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण को हम वादी का खाता अलग करने हेतु कहा गया परन्तु न सुनवा नही हुये इसलिये यह दावा दाखिल किया गया है, दौरान मुकदमा प्रतिवादी संख्या 7 व प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु के फलस्वरूप उनके वारिसान को प्रतिस्थापित किया गया। दावा स्वीकार करते हुये आराजी मद क मे हम वादी का विधिक अंश 1/4

(11) (32)

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, राजस्व
मण्डल :वाराणसी,जनपद :वाराणसी,तहसील :सदर
वाद संख्या :-01971/2020
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202014700001971
घुरे लाल बनाम विजय कुमार आदि
अंतर्गत धारा:- 116, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

यानि आराजी नम्बर मि.8 मे रकबा 0.1375 हे0 व मि.12 मे रकबा 0.0505 हे0 अंश घोषित कर फाट कायम कराते हुये अलग खाता कायम कराया जाय।

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा दिनांक 19-01-2021 को जवाबदेही प्रस्तुत कर कहा गया है कि उक्त वाद पत्र मे प्रस्तुत सजरा खानदान स्वीकार है, वादी द्वारा अपने अंश मे से आराजी नम्बर 8 मे रकबा 0.1001 हे0 व आराजी नम्बर 12 मे रकबा 0.000 हे0 विभिन्न लोगो को विक्रय कर दिया है, जो वादी के अंश मे समाहित होगा, दावा को तदनुसार संशोधित डिग्री किये जाने मे हमे कोई आपत्ति नही है। उक्त आराजी मद क मे हम प्रतिवादीगण मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का आराजी नम्बर 8 मे रकबा 0.2175 हे0 व आराजी नम्बर 12 मे रकबा 0.1520 हे0 मे प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का अंश 0.380 हे0 यानि दोना आराजियात मे प्रतिवादीगण 1 ता 6 का कुल अंश 0.2555 हे0 है। शेष अंश वादी व बकिया प्रतिवादीगण का है, हम अपने अंश पर अर्सा पूर्व पारिवारिक समझौता के तहत काबिज है, उक्त पारितवारिक समझौता से प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ता 6 का आराजी नम्बर 8 मे कोई अंश नही रह गया है, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का आराजी नम्बर 12 मे कोई अंश नही रह गया है, हम प्रतिवादीगण का उक्त वर्णित पारिवारिक समझौता के परिप्रेक्ष्य मे बटँवारा किये जाने मे कोई आपत्ति नही है। उक्त दोनो आराजियात मे से जो रकबा सिलिंग द्वारा अतिरिक्त घोषित है, उसे अवमुक्त होने पर उसके स्व0 बिस्सू के वारिसान हम प्रतिवादीगण का 1/4 समान अंश होगा।

प्रतिवादी नम्बर 7 मृतक के वारिसान द्वारा दिनांक 06-02-2021 को जवाबदेही प्रस्तुत कर कहा गया है कि वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 6 आपस मे मिले हुये है, वाद पत्र मे कमांक 7 पर साधोराम सोनकर की मृत्यु के बाद उनकी जगह हम स्थापित किये गये है। उक्त आराजी नम्बर 8 रकबा 0.7400 हे0 व आराजी नम्बर 12 रकबा 0.1520 हे0 मे 72-1/4 डि0 आराजी नम्बर 8 मे मृतक साधोराम के पिता रामराज ने 6.5 डि0 बैनामा किया शेष भूमि जो बचा है और कन्हैया मृतक के वारिस व उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 7 बादहूँ हम उत्तराधिकारीगण हुये। यानि कुल रकबा 138 डि0 जो लगभग 46 विस्वा जमीन होता है के मालिक व काबिज है, प्रतिवादी नम्बर 3 जो अपनी पत्नी कुसुम देवी के नाम फर्जी कार्यवाही करके स्व0 कन्हैया के हिस्से के आराजी नम्बर 8 के रकबा 72.25 डि0 मे 1400 वर्गफीट जमीन का बैनामा करना कहता है, जिस बैनामा के मंसूखी का वाद स्वयं कन्हैया मृतक द्वारा सिविल न्यायालय मे वाद संख्या 961/98 दाखिल किया जो विचाराधीन है, अब कन्हैया के वारिस साधोराम मृतक के वारिस व उत्तराधिकारीगण लड़ रहे है, बबुआ प्रसाद कूटरचित दस्तावेज के आधार पर मृतक कन्हैया के हक व हिस्सा का उत्तराधिकारी कहते है जो कमीशनर द्वारा समाप्त कर दिया गया, जिसके बावत् मा0 राजस्व परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद मे वाद विचाराधीन

02/05/2022

पृष्ठ संख्या :

न्यायालय डिप्टी कलेक्टर माल (सदर) वाराणसी

(12) 3/3

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, राजस्व
मण्डल :वाराणसी,जनपद :वाराणसी,तहसील :सदर
वाद संख्या :-01971/2020
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202014700001971
पुरे लाल बनाम विजय कुमार आदि
अंतर्गत धारा:- 116, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

है तथा कियान्वयन स्थगित किया गया है जब तक मा0 राजस्व परिषद का निर्णय नही आ जाता है खाता का बटँवारा की प्रक्रिया कानूनन स्थगित रहेगी, क्योंकि विवादित आराजियात की भूमि विवादित है, मा0 राजस्व परिषद मे विचाराधीन वाद मे अपर आयुक्त प्रशासन द्वारा पारित आदेश का कियान्वयन स्थगित किया गया है, जिसका सम्मान किया जाना न्यायोचित है जो इस न्यायालय पर बाध्यकारी है। अतः बटँवारे के इस वाद की प्रकिया को स्थगित करते हुये मौके पर यथास्थिति का आदेश प्रभावी रखा जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना गया तथा प्रस्तुत लिखित बहस व उसके साथ संलग्न साक्ष्यों व पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्यों व विधि व्यवस्थाओं व मा0 राजस्व परिषद व मा0 उच्च न्यायालय की आदेश की प्रतियों को देखा गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व परिषद द्वारा इस न्यायालय में विचाराधीन वाद धारा 116 जोत क विभाजन के सन्दर्भ में किसी प्रकार से कार्यवाही स्थगित करने का कोई आदेश एव निर्देश प्राप्त नही है। प्रस्तुत वाद पत्र के जरिये वादी व प्रतिवादीगण 1 ता 7 के बीच मौजा लालपुर अनौला परगना शिवपुर वाराणसी स्थित आ0नं0 नि.8 रकबा 0.966 हे0 व मि.12 रकबा 0.202 हे0 के बटँवारे हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमे वादी का 1/4 अंश अलग करने की मॉग की गयी है। पक्षों द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही मे वाद पत्र मे दर्शित वंशवक्ष से इनकार नही किया गया है, प्रतिवादीगण 1 ता 6 द्वारा दावे को स्वीकार किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व पक्षो के अभिकथनों से स्पष्ट है कि वंशवृक्ष मे दर्शित कन्हैया पुत्र मुन्सी जो लावल्द फौत कर गये है जिनके अंश का विवाद प्रतिवादी नम्बर 3 व 7 के मध्य विचाराधीन है, वादी का कथन है कि विवादित आराजी के बावत पूर्व मे वाद संख्या 52 सन् 1974 बल्ली आदि बनाम रामराज आदि मे पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 354 सन् 1974 बल्ली आदि बनाम रामराज आदि मे पक्षों के बीच आपसी समझौता दिनांक 18-10-1975 के आधार पर उक्त अपील निर्णित हुआ जिसमे आराजी निजाई मे वादी के पिता बल्ली को 1/4 अंश व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के मुरिस विस्सू उर्फ विश्वनाथ को 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 7 के पिता रामराज को 1/4 व कन्हैया को 1/4 अंश प्राप्त हुआ, उक्त अपील मे प्रस्तुत आपसी समझौता व सुलहनामे को स्वीकार किये जाने के आदेश दिनांक 18-10-1975 की नकल संलग्न किया गया है। उक्त समझौता के आधार पर ही वादी द्वारा अंश की मॉग की गयी है जिसे प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा स्वीकार किया गया है, जबकि प्रतिवादीगण संख्या 7/1 ता 7/5 द्वारा दावे को अस्वीकार किया गया है, परन्तु उनके मुरिस द्वारा पूर्व मे किये गये समझौता जिसे न्यायालय अपर आयुक्त वाराणसी मण्डल वाराणसी द्वारा स्वीकार किया गया है, ऐसी स्थिति मे वादी व प्रतिवादीगण के बीच पूर्व

न्यायालय डिप्टी कलेक्टर ... वाराणसी

21/05/2021

(13) 3/4

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी, राजस्व
मण्डल :वाराणसी,जनपद :वाराणसी,तहसील :सदर
वाद संख्या :-01971/2020
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202014700001971
घुरे लाल बनाम विजय कुमार आदि
अंतर्गत धारा:- 116, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

मे अंश का निर्धारण हो चुका है परन्तु उक्त के आधार पर खाता अलग-अलग कायम नही हुआ, जिसकी वजह से वर्तमान दावा प्रस्तुत किया गया है, जहाँ तक मृतक कन्हैया पुत्र मुन्सी के 1/4 अंश का विवाद प्रतिवादी संख्या 3 व 7 के मध्य सुसंगत धारा मे सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन है जो वर्तमान मे मा0 राजस्व परिषद मे लम्बित है, ऐसी स्थिति मे मृतक कन्हैया के 1/4 अंश को संरक्षित रखते हुये शेष खातेदारों के बीच विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिकी किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्तानुसार दावा वादी प्रारम्भिक रूप से डिकी किया जाता है। तदनुसार मौजा लालपुर अनौला परगना शिवपुर तहसील सदर जिला वाराणसी की आराजी नम्बर मि.8 रकबा 0.946 हे0 व मि.12 रकबा 0.202 हे0 मे वादी का 1/4 अंश तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का 1/4 अंश व प्रतिवादी संख्या 7/1 ता 7/5 का 1/4 अंश (मृतक कन्हैया का 1/4 अंश संरक्षित रहेगा क्योंकि प्रतिवादी संख्या 7 व 3 के मध्य माननीय राजस्व परिषद में वाद लम्बित है, कन्हैया का अंश माननीय राजस्व परिषद के आदेश के नियंत्रणाधीन रहेगा।) घोषित किया जाता है। तदनुसार क्षेत्रीय लेखपाल को तलब किया जाय। पत्रावली वास्ते फाट लेखपाल हेतु दिनांक 20/05/2022 को पेश हो।

Seen
K.K. Srivastava
Adv
05.05.22

02/05/2022
(मीनाक्षी पाण्डेय)
डिप्टी कलेक्टर (राजस्व)
वाराणसी।

न्यायालय डिप्टी कलेक्टर माल (राजस्व) वाराणसी

सत्य प्रतिलिपि
02/11/24
अहलमद
न्यायालय डिप्टी कलेक्टर माल (राजस्व)
वा रा ण सी

4